न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/20/2021	2021/186	08.10.2011	30.11.2021

01–सरकार जरिये सुदर्शन कुमार के.पी. प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर

–प्रार्थी

बनाम

01–नौबतराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गादूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

–अप्रार्थी

प्रा.पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत 14750 किलोग्राम गेहूं मय बरदाना, 288 किलोग्राम चना मय बारदाना को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

01–श्री दीपक मीणा — वकील प्रार्थी

02–श्री विकास कुमार मीणा — वकील अप्रार्थी

निर्णय

प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर द्वारा प्रा.पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 07.06.2021 को श्री सुदर्शन सिंह के.पी. प्रवर्तन अधिकारी मुण्डावर उचित मूल्य दुकानदार नौबतराम ग्राम पंचायत गादूवास तहसील मुण्डावर की जांच हेतु मौंके पर पहुंचा। मौंके पर जांच के दौरान उचित मूल्य दुकानदार श्री नौबतराम उपस्थित मिला। उचित मूल्य दुकानदार नौबतराम एफ.पी.एस. कोर्ड 16821 की पॉस की ऑनलाईन जांच करने पर पॉस मशीन में नियमानुसार स्टॉक पाया गया। केरोसीन 0.36 लीटर, चीनी 19.55 किलोग्राम, अन्य सहायता चना 0 किलोग्राम, आंगनबाडी का चना 1478 किलोग्राम, अन्य सहायता गेहूं 270 किलो, आंगनबाडी चांवल 550 किलो गेहूं Add NFSA BPL 5390 किलोग्राम NFSA 288 किलोग्राम गेहूं APL 7162 किलोग्राम, गेहूं BPL 1805 किलोग्राम दर्शाया गया है। प्राधिकार पत्र में वर्णित गोदाम छोटा गादूवास में स्थित है, जबकि डीलर द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बडा गादूवास में अवैध गोदाम में 14750 किलोग्राम गेहूं 288 किलोग्राम चने का भण्डारण किया गया। गोदाम में चीनी 0 किलो, केरोसीन नीला 0 लीटर ऑगनबाडी चावल 0 किलोग्राम, आंगनबाडी चना 0 किलोग्राम स्टॉक या एतएव डीलर के पास आंगनवाडी चना 1478 किलोग्राम कम आंगनबाडी चांवल 550 किलोग्राम कम चीनी 19.55 किलोग्राम कम, केरोसीन 0.36 लीटर कम पाया गया। इसके बाद दुकान के बाहर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार के बाहर हेल्पलाइन नम्बर, अवशेष स्टॉक मूल्य सूची, उच्च अधिकारियान के मोबाईल नम्बरों का अंकन नहीं पाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

इस प्रकार श्री नौबतराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गादूवास तहसील मुण्डावर द्वारा अवैध गोदाम में राशन सामग्री का भण्डारण किया गया। उचित मूल्य दुकानदार का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की स्पष्ट अवहेलना है। जो कि दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेशों का उल्लंघन होने के कारण 14750 किलोग्राम गेहूं मय बारदाना, 288 किलोग्राम चना मय बारदाना को मेरे द्वारा अभिग्रहित करके उचित मूल्य दुकानदार सत्येन्द्र कुमार एफ.पी.एस.कोर्ड 28636 गादूवास 1/2 मुण्डावर को सुरक्षा की सुपुर्द किया गया। फर्ज जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की दुकान में जो सामान केरोसीन 0.36 ली0, चीनी 19.55 किलोग्राम, आंगनबाडी चना 1478 किलोग्राम, अन्य सहायता गेहूं 270 किलो, आंगनबाडी चांवल 550 किलोग्राम, एनएफएसए बीपीएल 5390 किलोग्राम, दाल एनएफएसए 288 किलोग्राम, दाल एपीएल 7162 किलोग्राम, गेहूं बीपीएल 1805 किलोग्राम मौजूद होना दर्शाया गया है। प्रार्थी के गोदाम को उसके गोदाम मालिक द्वारा लॉकडाउन के दौरान खाली करवा लिया गया था। प्रार्थी के गोदाम में जो माल मौंके पर मिला है। वह माह जून 2021 का आवंटित हुआ माल था, जिसमें से ग्राहक का उस वक्त तक का माल का वितरण नहीं किया गया था, जिससे माह जून/2021 का सारा माल नए गोदाम में ही मौजूद था। प्रार्थी के गोदाम में जो माल आंगनबाडी चना 1478 किलोग्राम आंगनबाडी चांवल 550 किलोग्राम कम बताया गया है वह सामान प्रार्थी से आंगनबाडी सैन्टर पर दिलवा दिया गया था। चीनी 19.55 किलोग्राम व केरोसीन ते 0.36 लीटर प्रार्थी के गोदाम में मौजूद है। प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान के बाहर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन किया हुआ है तथा उचित मूल्य दुकान के बाहर हैल्पलाईन नम्बर, अवशेष स्टॉक, मूल्य सूची तथा उच्चाधिकारियों के नम्बर अंकित किये हुए है, जो बोर्ड पर धूल मिट्टी जम जाने से दिखाई नहीं देते है। जिसको सही करवा दिया गया है। प्रार्थी के यहां जो चना एनएफएसए 288 किलोग्राम मौजूद था, जिसको प्रवर्तन अधिकारी द्वारा गादूबास ग्राम पंचायत के 1/2 डीलर श्री सतेन्द्र को मेरी दुकान पर बुला कर उसक मार्फत आंगनबाडी केन्द्र को दिलवा दिया गया था। प्रार्थी माह जून 2021 व माह जुलाई 2021 के बाटे गए गेहूं के रिकार्ड की प्रति संलग्न कर श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है। जवाब प्रस्तुत कर नोटिस के भार से मुक्त करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्राधिकार पत्र मे वर्णित गोदाम छोटा गादूवास में स्थित है, जबकि डीलर द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बडा गादूवास में अवैध गोदाम में 14750 गेहूं 288 किलोग्राम चने, का भण्डारण किया गया। डीलर के पास आंगनबाडी चना 1478 किलोग्राम कम आंगनबाडी 550 किलोग्राम कम चीनी 19.55 किलोग्राम कम, कैरोसीन 0.36 ली0 कम पाया जाना अंकित किया है । इसके साथ–साथ प्रवर्तन निरीक्षक मुण्डावर ने दुकान के बाहर आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन हैल्पलाईन नम्बर अवशेष स्टॉक, मूल्य सूची, एवं उच्च अधिकारियान के मोबाईल नम्बरों का अंकन नहीं करना पाया गया। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र में अंकित गोदाम के स्थान पर अन्य स्थान पर राशन सामग्री का रखाव किया गया है जिसके लिये डीलर ने गोदाम छोटा होना अंकित किया है। डीलर ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि गोदाम में जो माल आंगनबाडी चना 1478 किलोग्राम आंगनबाडी चांवल 550 किलोग्राम, कम दर्शाया गया है वह माल पोश मशीन खराब होने के कारण ऑफलाईन द्वारा आंगनवाडी सैन्टर पर दिलवा दिया गया था जिसकी डीलर द्वारा छाया प्रति रसीदात पेश की हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 खारिज किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
(राज0)

जाता है तथा श्री नौबतराम उचित मूल्य दुकानदार गादूवास तहसील मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि वे उचित मूल्य दुकान के बाहर आवश्यक वस्तुओं का प्रदर्शन, हैल्प लाईन नम्बर, अवशेष स्टॉक, मूल्य सूची एंव उच्चाधिकारियों के मोबाईल नम्बरों का अंकन करें यदि प्राधिकार पत्र में स्वीकृत गोदाम उपयुक्त नहीं है तो सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से नियमानुसार नवीन गोदाम स्वीकृत कराते हुए नवीन गोदाम का प्राधिकार पत्र में अंकन करवाये तत्पश्चात राशन सामग्री का भण्डारण करें। जप्त की गई राशन सामग्री 14750 किलोग्राम गेहूं मय बारदाना, 288 किलोग्राम चना, मय बारदाना उचित मूल्य दुकानदार नौबतराम को संभलवायें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रथम) अलवर